



पशुधन निर्यात सर्वतोत्प्रेषणकारकम्।

**LIVESTOCK RESEARCH STATION: BEECHWAL**  
(RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES: BIKANER)

Dr. Sita Ram Gupta  
OFFICER INCHARGE  
Mob : 9413208638  
Email: lrsbeechwal@gmail.com

Bijay Bhawan Palace  
Veterinary College Campus  
Bikaner 334 001  
Rajasthan, India

No. F ( )/LRS Beechwal/2022-23/ 515-521

Dated : 28.03.2023

नारायण राम गोदारा,  
पारीक चौक,  
बीकानेर।

विषय :- पशुधन अनुसंधान केन्द्र, बीछवाल से प्रातः एवं सांय काल में दुग्ध कय करने का वर्ष 2023-24  
(01.04.2023 से 31.03.2024) का अनुबंध।


महोदय,

आपने वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु पशुधन अनुसंधान केन्द्र, बीछवाल से दुग्ध कय करने का टेण्डर प्रस्तुत किया था जो कि निर्धारित तिथि व समय पर समिति के द्वारा दिनांक 17.03.2023 को खोला गया। आपने अपने टेण्डर में जो दुग्ध की दर अंकित की है, उक्त दर समिति एवं सक्षम अधिकारी ने स्वीकार कर ली है।

केन्द्र का नाम जहाँ से दुग्ध उठाना है	दुग्ध खरीद करने की स्वीकृत दर
पशुधन अनुसंधान केन्द्र, बीछवाल	गाय का दुग्ध @रु. 41.75 प्रति लीटर

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि टेण्डर की शर्तों के अनुसार-

- रु.500/-के नॉन ज्यूडिशियल पेपर पर एग्रीमेन्ट करवा का कार्यालय को तुरन्त प्रस्तुत करें। एग्रीमेन्ट फार्म संलग्न है।
- कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि रुपये 160000/- अनुबंध की अवधि संतोषजनक पूर्ण होने पर लौटाई जायेगी अन्यथा जब्त कर ली जायेगी। प्रति दिन उठाए गए दुग्ध का भुगतान नगद करना होगा।
- निविदा की अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 होगी लेकिन यह अवधि घटाई या बढ़ाई जा सकती है जिसके लिये ठेकेदार बाध्य होगा।
- स्टाफ एवं शोध कार्य के लिये दुग्ध लेने के पश्चात जो दुग्ध रहेगा ठेकेदार को उठाना होगा। दुग्ध की मात्रा कम या अधिक होने पर ऐतराज ठेकेदार नहीं कर सकेगा जितना दुग्ध होगा उतना ही दुग्ध ले जाना होगा।
- किसी भी तरह के विवाद में निदेशक अनुसंधान/प्रभारी अधिकारी का निर्णय अन्तिम निर्णय होगा।
- ठेकेदार की किसी भी तरह की लापरवाही से संस्थान को होने वाले नुकसान की भरपायी ठेकेदार को करनी होगी। दुग्ध निस्तारण के समय ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी। ठेकेदार डेयरी परिसर में किसी भी बाहरी व्यक्ति को दुग्ध विक्रय नहीं करेगा।
- खाद् पदार्थ बिक्री संबंधी अधिनियम के तहत लाइसेंस लेना एवं उससे संबंधित समस्त कार्यवाही ठेकेदार को अपने स्तर पर करनी होगी।
- निविदा की शर्तों के अलावा निविदादाता पर RTPP Rule 2013 व RTPP Act 2012 के अनुरूप सभी नियम शर्तें धाराएँ/उपधाराएँ लागू होंगी।

  
प्रभारी अधिकारी

प्रतिलिपि-

- निदेशक अनुसंधान, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर को सूचनाार्थ प्रेषित।
- वित्त नियंत्रक, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर को सूचनाार्थ प्रेषित।
- नोडल अधिकारी, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि उक्त कार्य आदेश एवं समिति की प्रोसीडिंग (संलग्न) को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
- डॉ जितेन्द्र तंवर/श्री महेश आर्य (तकनीकी सहायक), पशुधन अनुसंधान केन्द्र, बीछवाल
- लेखा शाखा, एल आर एस, बीछवाल - कृपाया State Procurement Portal पर अपलोड करवायें।
- रक्षित पत्रावली/स्टोर फाईल, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर।

  
प्रभारी अधिकारी

